भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 1820

सोमवार, 02 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत शामिल ऋण

1820. श्री बंदी संजय कुमार:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निगमों जैसे पीएफसी, हुडको इत्यादि से ऋण ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह ऋण राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने इन ऋणों में एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण सीमा को पार कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एफआरबीएम सीमा को पार करने वाले ऐसे राज्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार राज्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत ऋण लेने की अनुमति जारी करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों जैसे, नाबार्ड, पीएफस, हुडको आदि से बातचीत द्वारा तय ऋण लेना शामिल है। ये ऋण संबंधित राज्य एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकारों की बैंकों और नाबार्ड, पीएफसी, हुडको आदि जैसी वित्तीय संस्थानों पर बकाया ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): राज्यों की निवल ऋण सीमा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रस्तावित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटा लक्ष्य के आधार पर निर्धारित की जाती है तथा ऋण लेने की अनुमति राज्यों द्वारा प्रस्तुत बजट संबंधी प्राक्कलनों के आधार पर जारी की जाती है। राज्यों द्वारा ऋण की किसी प्रकार की अधिकता/कमी को उस वर्ष में समयोजित किया जाता है जिसके लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं। किसी भी राज्य से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमेय ऋण लेने की सीमा पार करने की सूचना नहीं मिली है।

******

02 मार्च, 2020 के लिए पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 1820 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बैंकों तथा नाबार्ड, पीएफसी, हुडको आदि जैसे वित्तीय संस्थानों पर राज्य सरकारों के बकाया ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2017-18 (एफए)**	**2018-19 (सं.प्रा.)**	**2019-20 (ब.प्रा.)**
1	आंध्र प्रदेश	4615.10	5262.40	5117.00
2	अरुणाचल प्रदेश	559.70	338.40	40.20
3	असम	2164.20	3468.70	4309.70
4	बिहार	6827.20	7919.10	9422.30
5	छत्तीसगढ़	3889.20	4566.80	5116.10
6	गोवा	688.10	659.00	730.30
7	गुजरात	11837.20	14690.60	17075.40
8	हरियाणा	3492.70	3583.30	4670.90
9	हिमाचल प्रदेश	2491.60	2626.30	2840.60
10	जम्मू और कश्मीर	3725.60	3601.20	3522.50
11	झारखंड	6070.40	7416.40	9458.40
12	कर्नाटक	4289.10	4760.30	4941.90
13	केरल	5208.10	5093.20	5006.90
14	मध्य प्रदेश	9569.30	12284.00	15061.60
15	महाराष्ट्र	8173.50	12242.80	18721.90
16	मणिपुर	326.30	446.80	476.50
17	मेघालय	375.10	517.80	711.40
18	मिजोरम	502.60	564.80	655.60
19	नगालैंड	658.00	594.00	519.50
20	ओडिशा	11031.30	14526.40	17612.00
21	पंजाब	31422.90	30269.60	29310.90
22	राजस्थान	9413.00	10551.90	11243.60
23	सिक्किम	308.00	302.70	293.70
24	तमिलनाडु	9498.90	10502.70	11220.90
25	तेलंगाना	4154.20	4025.60	3468.90
26	त्रिपुरा	951.80	920.50	984.40
27	उत्तर प्रदेश	58817.30	62294.30	63452.40
28	उत्तराखंड	3784.90	3980.20	4075.50
29	पश्चिम बंगाल	7031.90	7679.40	8171.30
	जोड़	**211877.20**	**235689.20**	**258232.30**

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की "राज्य वित्त: 2019-20 के बजट का अध्ययन" नामक रिपोर्ट